यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के माह 01/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/02/2019 से 11/02/2019 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरि° लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः

1. इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा श्री सत्यवीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15/01/2018 से 18/01/2018 तक में सम्पादित की थी जिसमें कार्यालय के माह 05/2015 से 12/2017 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2018 से 01/2019 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः लोक निर्माण विभाग जिला पौड़ी, गोपेश्वर एवं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य का अनुश्रवण का कार्य।
3. विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय	बचत
1.	2016-17	98.10	95.97	2.13
2.	2017-18	97.23	86.97	10.26
3.	2018-19 (12/2018 तक)	1.37	1.17	0.20

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+) बचत (-)
2016-17	एस पी ए	-	1175	1175	
2017-18	एस पी ए	-	1515.72	741.89	773.23
2018-19 (12/2018 तक)	एस पी ए	-	300		

4. इकाई को बजट आवंटन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। इकाई में मुख्यतः स्थापना व्यय है एवं इकाई -सी श्रेणी की है।
5. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

6. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **अगस्त 2018** को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।
7. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तर -1: विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण मे कमी के कारण रु 1116.07 लाख व्यय के उपरांत 05 वर्ष से 08 वर्ष बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना ।

अधीक्षण अभियंता, 12th सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (फरवरी 2019) मे पाया गया कि वृत्त अंतर्गत विभिन्न खंडो के अंतर्गत चल रहे 02 कार्यो [जनपद पौड़ी के अंतर्गत क्षेत्र कोटद्वार मे विभिन्न मोटर मार्गो (08 मार्ग लंबाई 12 किमी) का BM/SDBC द्वारा सुदृढीकरण एवं दमदेवल-गड़ारी मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक विस्तार (मार्ग लंबाई 15.57 किमी) कार्य हेतु] की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः रु 632.84 लाख एवं रु 945.00 लाख हेतु क्रमशः माह सितम्बर 2013 एवं मार्च 2010 मे प्रदान की गयी थी जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही माह फरवरी 2014 एवं माह जुलाई 2015 मे प्रदान की गयी थी। अभिलेखो की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि बीएम/एसडीबीसी के कार्य मे वित्तीय स्वीकृति रु 632.84 के सापेक्ष रु 571.26 लाख व्यय एवं विस्तार मार्ग के कार्य मे रु 945.00 लाख (15.57 किमी) के सापेक्ष रु 544.86 लाख (10 किमी) के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति के क्रमश 05 वर्ष एवं 08 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था जिससे इसका लाभ जनलोक को नहीं मिल पा रहा था। इसके अतिरिक्त श्रमिक दरो एवं सामाग्री कि लागत मे वृद्धि से कार्य कि लागत बढ़ाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर वृत्त द्वारा उत्तर मे बताया गया कि मार्ग पर ग्रामीणो मे विवाद होने एवं कुछ जगह पर वनभूमि होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका । जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा.

अतः वृत्त का उत्तर न केवल शिथिलता एवं अनुश्रवण मे कमी का ज्ञोतक है अपितु इसके कारण उपरोक्त मार्ग पर कुल रु 1116.07 लाख (रु 571.20 लाख+ रु 544.86 लाख) व्यय के बावजूद स्वीकृति के 05 से 08 वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण थे, का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तरः2- अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित अनुबन्धो के द्वारा कार्य समापन में देरी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,12 वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा संधारित की जा रही अनुबंध पंजिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 के मध्य कुल 60 अनुबंध का गठन अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के स्तर से संपादित की गयी थी और कुल 58 अनुबंध के द्वारा कार्य जनवरी 2019 या इससे पूर्व संपादित हो जाना चाहिए था परन्तु केवल 44 अनुबन्ध के द्वारा ही कार्य पूर्ण कराया जा सका था जिनका विवरण नीचे सारणीबद्ध है।

वर्ष	**अनुबंध का विवरण**			
	गठित अनुबन्ध	**अनुबंध जिनके द्वारा कार्य जनवरी 2019 तक पूर्ण जाने थे**	**वास्तविक रूप से पूर्ण किए अनुबन्ध**	**पूर्ण अनुबंध की प्रतिशतता**
2014-15	10	10	09	90%
2015-16	17	17	14	82%
2016-17	22	22	16	73%
2017-18	11	09	05	56%
कुल	60	58	44	

वृत्त की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के 44 प्रतिशत कार्य व वर्ष 2016-17 के 27 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे। साथ ही यह भी पाया गया वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ हुआ एक अनुबंध भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त इंगित किए जाने पर वृत्त द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि समय-समय पर बैठकें आहूत की जाती है व उन्हे शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रारम्भ कराये जाने हेतु संबन्धित अधिशासी अभियंताओ को निर्देशित किया जाता है।

अत: कार्य सम्पादन में हुए देरी के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 : 5 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी रु 2110.77 लाख के 30 कार्य को प्रारम्भ न कराये जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रातर संख्या 380 के अनुसार – "The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded"

अधीक्षण अभियंता, 12वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी अंतर्गत आनेवाले खण्डो (निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, दुगड्डा, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, पौड़ी, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, श्रीनगर, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, बैजरों व प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, लेंसडाउन) के माह दिसंबर 2018 की मासिक प्रगति आख्या के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2011 से वर्ष 2013 के मध्य स्वीकृत रु 2110.77 लाख के 30 कार्य विभिन्न कारणो से प्रारम्भ नहीं किया जा सके थे। कार्य के स्वीकृति मिलने के 5 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था व संबन्धित क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा से वंचित रखा गया। वृत्त के प्रशासनिक व तकनीकी प्रमुख होने के कारण वृत्त के अधीन सभी खण्डों के अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्यों के monitoring and effective control लिए उत्तरदायी है। साथ ही सभी कार्य की स्वीकृति भी 5 वर्ष व अधिक व्यतीत हो जाने के कारण समाप्त हो गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त इंगित किए जाने पर वृत्त द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि समय समय पर बैठकें आहूत की जाती है व उन्हे शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रारम्भ कराये जाने हेतु संबन्धित अधिशासी अभियंताओ को निर्देशित किया जाता है। वृत्त का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि स्वीकृति के 5 से 7 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये है।

अतः 5 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी रु 2110.77 लाख के 30 कार्य को प्रारम्भ न कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर	
	भाग-2अ	भाग-2ब
07/1990-91	शून्य	**1,2,3**
29/1992-93	शून्य	**1**
71/1995-96	शून्य	**1**
16/2000-01	शून्य	**2**
10/2004-05	शून्य	**1 (A), (B)**
28/2012-13	**1,2**	शून्य
14/2015-16	शून्य	**1**
74/2017-18	शून्य	**1,2**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

वृत के उत्तर के अनुसार, संस्तुति प्राप्त कर आख्या लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य :- शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत लोक निर्माण विभाग, पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताऐः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ताओ द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**पदावधि**
1	श्री ओम प्रकाश	**अधीक्षण अभियन्ता**	06.07.2017 से अबतक
2	श्री विपुल कुमार सैनी	**सहायक अभियंता**	09.12.2018 से 05.01.2019

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र – 2